154

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 308—एक/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18—06—2007 के द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 531/2005—06

.....

रतनसिंह तनय पंचमसिंह ठाकुर
निवासी—ग्राम लुगासी, तहसील नौगांव
जिला—छतरपुर

.....आवेदक

विरूद्ध

1— गुमान सिंह
2— भूपतसिंह
3— सन्तोष सिंह
4— राजेन्द्रसिंह, पुत्रगण पंचमसिंह ठाकुर
निवासीगण— ग्राम लुगासी, तहसील नौगांव
जिला—छतरपुर

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण,

.....

आदेश
(आज दिनांक 17-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 531/2005—06 में पारित आदेश दिनांक 18—06—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी छतरपुर के समक्ष संहिता की धारा—178 के अंतर्गत बंटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया था,

जिसके आधार पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक–4/अ–27/1997–98 में दिनांक 21.04.1998 को आदेश पारित करते हुये बंटवारा किया। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्ध पुनरावलोकन का आवेदन दिया । बन्दोबस्त की कार्यवाही समाप्त हो जाने के कारण प्रकरण तहसीलदार नौगांव के न्यायालय में प्राप्त हुआ, जहॉ अनावेदकों का बंटवारा आवेदन निरस्त कर दिया गया । अनावेदकों ने तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 28.01.2002 को निरस्त किये जाने पर अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

3/ अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील को दिनांक 30.08.2003 को पारित आदेश द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया। प्रकरण प्रत्यावर्तन के बाद प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण क्रमांक 42/2000–01 में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 26.04.2006 को अनावेदकों की अपील निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जिसे अपर आयुक्त ने अपर आयुक्त ने विवादित आदेश दिनांक 18.06.2007 द्वारा स्वीकार करते हुये तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त किया है तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 21.04.1998 को स्थिर रखा है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

4/ आवेदक ने अपनी निगरानी आवेदन में तथ्यों एवं आधारों का जो वर्णन किया है उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है । आवेदक के अभिभाषक के मुख्य तर्क इस प्रकार है कि अनोवदकों ने जिस खाते की भूमि का बंटवारा चाहा था, उस भूमि का आवेदक एकमात्र अभिलिखित भूमि स्वामी है । अनावेदकगण सहखातेदार नहीं है इसलिये उन्हें बंटवारा कराने का अधिकार नहीं है । आवेदक के अभिभाषक ने संहिता की धारा–178 की उपधारा–1 का उल्लेख करते हुये तर्क किया कि यदि किसी कृषि भूमि के खाते में एक से अधिक भूमि स्वामी हो तो उनमें से कोई भी भूमि स्वामी अपने अंश के विभाजन के लिये आवेदन दे सकता है । उनका कहना है कि जिस कृषि खाते का बंटवारा चाहा गया है उसमें एक से अधिक अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है । आवेदक एकमात्र भूमिस्वामी है । अतः अनावेदकों को बटवारा आवेदन देने का अधिकार भी नहीं था । अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय का

न्याय दृष्टांत 2006 रेवेन्यू निर्णय 423 एवं 2008 रेवेन्यू निर्णय 371 अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये।

5/ उनका दूसरा तर्क है कि आवेदक को यह भूमि अपने पिता अथवा बाबा से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हुई है । यह भूमि आवेदक को वसीयत के द्वारा प्राप्त हुई थी। अतः यह भूमि आवेदक की स्वअर्जित भूमि कहलायेगी है । पैतृक भूमि न होने के कारण अनावेदकों का कोई स्वत्व अथवा अधिकार बंटवारे के लिये निर्मित नहीं होता है । आवेदक के अभिभाषक ने आगे अपने तर्क में कहां की अपर आयुक्त ने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश को यथावत रखने में त्रुटि की है । क्योंकि उक्त आदेश पुनरावलोकन में निरस्त किया जा चुका था एवं उसे निरस्त किये जाने के विरूद्ध की गई अपील निरस्त हुयी । अपर आयुक्त ने अपील में पारित आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः प्रथम अपीलीय न्यायालय को वापस किया । प्रथम अपीलीय न्यायालयों ने पुनः आदेश पारित करते हुये अपील को निरस्त किया था । इस कारण सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था । ऐसे अस्तित्वहीन एवं वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अपास्त किये जा चुके आदेश को मान्यता देने में अपर आयुक्त ने अपने विचाराधिकार का गलत प्रयोग किया है ।

6/ अनावेदक क्रमांक –1 की ओर से श्री ओ0पी0 शर्मा तथा अनावेदकगण क्रमांक –2 व 3 की ओर से श्री दिलीप पासी अभिभाषकगण ने अपने तर्कों में कहा कि निगरानी आधारहीन है एवं अपर आयुक्त ने जो निर्णय दिया है वह विधिसम्मत निर्णय है । उनका कहना है कि आवेदक को वसीयतनामें से भूमि प्राप्त हुयी थी, इसलिये अनावेदकगण को भी उसमें अधिकार प्राप्त होता है । उनका कहना है कि निगरानी निरस्त की जाये।

7/ मैंने अभिभाषकों के तर्कों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह तथ्य विवादित नहीं है कि जिस भूमि का बंटवारा चाहा गया है वह भूमि आवेदक को उसके पिता अथवा बाबा से प्राप्त नहीं हुयी है । किसी रिश्तेदार ने आवेदक के हित में वसीयतनामा किया था, जिसके आधार पर 1986 में अकेले आवेदक का नामांतरण हुआ था । आवेदक के नामांतरण आदेश के विरूद्ध कोई अपील आदि नहीं होने से वह अंतिम हो चुका हैं । अपर आयुक्त ने मेरे मत में इस मूल विवादित बिन्दू का निराकरण नहीं किया है कि क्या वसीयत में प्राप्त सम्पति को पैतृक अथवा संयुक्त परिवार की सम्पति माना जा सकता है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार केवल वही सम्पति बटवारे के

योग्य है जो पिता अथवा बाबा से प्राप्त हुयी हो या संयुक्त परिवार की सम्पति से अर्जित की गयी हो । अतः मेरे मत में आवेदक को किसी रिष्तेदार से वसीयत द्वारा प्राप्त सम्पति को पैतृक अथवा संयुक्त परिवार की सम्पति नहीं माना जा सकता एवं आवेदक की ऐसी सम्पति में उसके भाईयों को बटवारा कराने का स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त नहीं होता है ।

8/ आवेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा दिया गया यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने जो आदेश दिनांक 21.04.1998 को दिया था, वह राजस्व अधिकारी का न्यायालयीन आदेश था । ऐसे आदेश को पुनरावलोकन में लिये जाने के लिये संहिता की धारा –51 के अंतर्गत आवेदन में कोई वैधानिक बाधा नहीं थी । परिवेदित पक्षकार को किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील करने का अथवा उसी न्यायालय में पुनरावलोकन हेतु आवेदन देने का अधिकार विधि द्वारा दिया गया है । आवेदक ने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जो की राजस्व अधिकारी है के आदेश को पुनरावलोकन में लेने हेतु दिया गया आवेदन विधि सम्मत था । अपर आयुक्त ने पुनरावलोकन के आवेदन को न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल होने का कोई आधार अथवा कारण अपने आदेश में नहीं दिया है । इस कारण अपर आयुक्त द्वारा इस बिन्दू की गई टिप्पणी व्यर्थ है ।

9/ सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा बटवारे का इस्तहार/उद्घोषणा पर पक्षकार के हस्ताक्षर होने से अपर आयुक्त ने यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने दोनों पक्षों की सहमति से बंटवारा आदेश पारित किया था । किसी सूचना–पत्र अथवा उद्घोषणा पर पक्षकार के हस्ताक्षर होना इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता की जिस कारण से वह सूचना पत्र अथवा उद्घोषणा जारी की गई है वह उसकी विषय वस्तु से सहमत है । सूचना–पत्र अथवा उद्घोषणा का उद्देष्य पक्षकार की जानकारी के लिये है । जिसमें उससे अप्रेक्षा की जाती है । वह सूचना–पत्र अथवा उद्घोषणा के पश्चात अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखें ।

10/ आवेदक अभिाषक के इस तर्क में भी प्र्याप्त बल है कि जब किसी कनिष्ठ न्यायालय का आदेश वरिष्ठ न्यायालय द्वारा परिवर्तित अथवा संशोधित कर दिया जाता है या उसे निरस्त कर दिया जाता है तब कनिष्ठ न्यायालय के ऐसे आदेश का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा वह आदेश वरिष्ठ न्यायालय के आदेश में समाहित हो जाता है वरिष्ठ न्यायालय का आदेश ही प्रभावशील होता है

11/ इस प्रकरण में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के विरूद्व प्रथम तथा द्वितीय अपील की गयी । द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण प्रथम अपील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया था। प्रत्यावर्तन के प्च्चात अनुविभागीय अधिकारी ने दोनो पक्षो को सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर दिया। पक्षकारो के कथन भी लिये एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, उन्हें भी अभिलेख पर लिया। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय की प्रकरण पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 20.08.2003 का अक्षरसः पालन करते हुये प्रथम अपील का निराकरण किया है। विवादित आदेश में अपर आयुक्त ने अपने विवादित आदेश में ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला है कि प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 20.08.2003 में दिये गये किस निर्देश का पालन अनुविभागीय अधिकारी ने नहीं किया।

12/ अनावेदकगण की ओर से जो तर्क दिये गये है वे प्रकरण के अभिलेख तथा दर्शित परिस्थितियों में अमान्य किये जाने योग्य नहीं है । मेरे मत में आवेदक के एकमात्र स्वामित्व की भूमि का बटंवारा करने का आवेदन संहिता की धारा–178 की उपधारा–1 के अंतर्गत ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं था । आवेदक के तर्क माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत के संदर्भित न्याय दृष्टांत 2006 रेवेन्यू निर्णय 417 के प्रकाश में स्वीकार किये जाने योग्य है।

ऊंपर की गयी विवेचना के अनुसार यह पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार किया जाता है । अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 18.06.2007 निरस्त किया जाता है । परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26.04.2006 यथावत रहेगा।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर